

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद नीलामी सूचना प्राधिकरण की आशियाना प्रथम योजना में अम्बेडकर पार्क में स्थित आम के 251 पेड़ों की आगामी दो फसलों वित्तीय वर्ष (2017-18) की नीलामी विषयक			नीलामी तिथि:- 02.09.2016 समय: सायं 4.00 बजे तारीख को स्थान: प्राधिकरण सभागार
क्रम सं०	पेड़ों की संख्या	धरोहर राशि रू०	न्यूनतम आरक्षित मूल्य
1.	251	30,000.00	3,00,000.00
<p>शर्तें:- (1) इच्छुक व्यक्ति बाग की नीलामी में बोली हेतु रू० 30,000.00 का बैंक ड्राफ्ट नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व दिनांक 01.09.2016 तक जमा कर भाग ले सकते हैं । (2) विस्तृत विवरण एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdamoradabad.org पर प्राप्त की जा सकती है ।</p> <p><u>नोट:-</u> नीलामी दिनांक 02.09.2016 को स्वीकृत नहीं होने की दशा में पुनः नीलामी दिनांक 15.09.2016 को की जायेगी ।</p> <p style="text-align: right;">उपाध्यक्ष, मु०वि०प्रा०, मुरादाबाद ।</p>			

पत्रांक / मु०वि०प्रा० / सम०अनु० / 2016 दिनांक2016
प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. सचिव महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित ।
3. मुख्यलेखाधिकारी, महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित ।
4. मुख्य अभियन्ता, महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित ।
5. कम्प्यूटर प्रभारी को इस आशय से कि विज्ञापन को प्राधिकरण की वेबसाइट पर लोड कराना सुनिश्चित करें ।
6. विज्ञापन प्रभारी को प्रकाशन हेतु ।
7. शाखा प्रबन्धक केनरा / प्रथमा बैंक को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

संयुक्त सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद

<p align="center">मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद नीलामी सूचना</p> <p>प्राधिकरण की आशियाना प्रथम योजना में अम्बेडकर पार्क में स्थित आम के 251 पेड़ों की आगामी दो फसलो वित्तीय वर्ष (2017-18) की नीलामी विषयक</p>			<p>नीलामी तिथि:- 02.09.2016 समय: सायं 4.00 बजे तारीख को स्थान: प्राधिकरण सभागार</p>
क्रम सं०	पेड़ों की संख्या	धरोहर राशि रू०	न्यूनतम आरक्षित मूल्य
1.	251	30,000.00	3,00,000.00
<p>शर्त:- (1) इच्छुक व्यक्ति बाग की नीलामी में बोली हेतु रू० 30,000.00 का बैंक ड्राफ्ट नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व दिनांक 01.09.2016 तक जमा कर भाग ले सकते हैं । (2) स्वीकृत बोली धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि बोलीदाताओं को धरोहर राशि समायोजित करते हुये 2 माह के अन्दर जमा करना होगा तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि उसके एक माह के अन्दर जमा करनी होगी । (3) किसी भी कारण यदि कोई पेड़ नष्ट होता है तो बोलीदाता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा रू० 10,000.00 प्रत्येक पेड़ की दर से अर्थदण्ड लिया जायेगा । (4) बोली उपरान्त धनराशि जमा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा बोली निरस्त कर दी जायेगी । (5) विस्तृत जानकारी शर्तों हेतु किसी भी कार्य दिवस में संयुक्त सचिव, मु०वि०प्रा० से सम्पर्क कर सकते हैं ।</p> <p>नोट:- नीलामी दिनांक 23.08.2016 को स्वीकृत नहीं होने की दशा में पुनः नीलामी दिनांक 02.09.2016 को की जायेगी ।</p>			
			<p align="right">उपाध्यक्ष, मु०वि०प्रा०, मुरादाबाद ।</p>